

सिविल सर्जन, खगडिया के पत्राक-38 दिनांक-06.01.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगडिया (R.No.-BR00150160004255) वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के निहित प्रावधान के अर्न्त विभागीय सकल्प सं०-527(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्राक-1778(9) दिनांक-22.12.2023 एवं 207(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा डा० कुमार से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। डा० कुमार द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया।

3. डा० कुमार द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे PG कोर्स हेतु माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज में अध्ययनरत होने के कारण कर्तव्य पर अनुपस्थित है। सिविल सर्जन, खगडिया के पत्राक-2062 दिनांक-20.08.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि डा० कुमार द्वारा प्रभार ग्रहण के पश्चात् वर्ष 2021 से अबतक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० कुमार को बिना विभागीय अनुमति के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में "सेवाच्युति" की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक-214 दिनांक-17.04.2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-17.06.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सख्या-06 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

5. तदनुसार डा० राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगडिया के विरुद्ध वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में "सेवाच्युति" की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

आदेश:-संकल्प की प्रति डा० राकेश कुमार एवं सभी संबंधितों को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-04-66/2023(स्वा०) 670(9) पटना, दिनांक: 18.6.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर, प्रमडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, खगडिया/संबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/25

(15)

प्रतिलिपि:—डा० राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगडिया स्थायी पता—राजेन्द्र मेडिकल हॉल, स्टेशन रोड, पो०+थाना—मधेपुरा, जिला—मधेपुरा, पिन कोड—852113 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

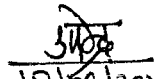
प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/06/2025
सरकार के अवर सचिव।